आवश्यक
पंचायत आम चुनाव, 2021

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्रांक - पं.नि.30-92/2021 - 3536

प्रेषक,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)।

पटना, दिनांक - 6.9.21

विषय : पंचायत आम निर्वाचन, 2021 —प्रेक्षकों की नियुक्ति तथा उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि पंचायत आम निर्वाचन, 2021 स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण वातावरण में जिम्मेदारी पूर्वक सम्पन्न कराने के उद्देश्य से भारत के संविधान के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग को प्रदत्त प्लेनरी शक्तियों (plenary powers) तथा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 128 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आयोग द्वारा प्रत्येक प्रखंड/अनुमंडल के लिए प्रेक्षक की नियुक्ति की गयी है। **आपके जिले के प्रखण्डों/अनुमंडलों के लिए नियुक्त प्रेक्षकों की सूची संलग्न है।**

2. प्रेक्षकों के आवास, परिवहन एवं सुरक्षा हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निम्न व्यवस्था की जायेगी :-

(1) प्रेक्षकों से प्राप्त पूर्व सूचनानुसार रेलवे स्टेशन/बस स्टैंड से ठहराव स्थल तक प्रेक्षक को ले जाने एवं क्षेत्र भ्रमण हेतु उपयुक्त वाहन यथा संभव कार अथवा बन्द जीप की व्यवस्था। सरकारी वाहन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में किराए पर उपयुक्त वाहन की व्यवस्था की जायेगी।

(2) प्रेक्षक की सुरक्षा हेतु एक सुरक्षा कर्मी सम्बद्ध की जाय, यदि जिला दंडाधिकारी एवं आरक्षी अधीक्षक के मत में सुरक्षा के दृष्टिकोण से उपर्युक्त से अधिक व्यवस्था की आवश्यकता हो, तो तदनुसार कार्रवाई हेतु वे स्वतंत्र होंगे।

(3) स्कोर्ट अथवा पायलट कार की व्यवस्था प्रेक्षकों के लिए आवश्यक नहीं होगी वशर्त्ते कि जिला दंडाधिकारी एवं आरक्षी अधीक्षक के मत में अन्यथा नहीं हो।

(4) प्रेक्षकों के साथ स्थानीय क्षेत्र/परिस्थितियों से भिज्ञ किसी पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया जायेगा तथा प्रेक्षक को यह स्वतंत्रता होगी कि वे अपने साथ प्रतिनियुक्त सुरक्षा कर्मी, वाहन एवं उपर्युक्त पदाधिकारी के साथ अपनी इच्छानुसार आवंटित क्षेत्र में भ्रमण करें।

(5) आवश्यकतानुसार विडियोग्राफर।

(6) प्राथमिक चिकित्सा किट

(7) अगर प्रेक्षक मिनरल वाटर अथवा बोतलबन्द पानी की मांग करें तो उन्हे इसकी आपूर्त्ति की जायेगी।

(8) यथासंभव प्रेक्षकों को सरकारी/ अर्द्धसरकारी अतिथिगृहों में ठहराने की व्यवस्था की जायेगी।

(9) प्रेक्षक, उनके सुरक्षा गार्ड, ड्राईवर तथा उनके साथ प्रतिनियुक्त मार्गदर्शक के लिए जिला प्रशासन द्वारा भोजनादि की व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी कि उन्हें अपने मूवमेंट में स्वतंत्रता रहे।

(10) प्रेक्षकों को जिला मुख्यालय एवं राज्य निर्वाचन आयोग से सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु प्रत्येक प्रेक्षक को, जिनके पास अपना निजी मोबाईल फोन उपलब्ध है, प्रति माह (सितम्बर, अक्टूबर तथा नवम्बर, 2021) अधिकतम रू. 500 (पाँच सौ) रूपये का रिचार्ज भाउचर/ईजी रिचार्ज कार्यालय व्यय मद से उपलब्ध कराया जा सकता है ताकि उन्हें उत्तरदायित्वों के निर्वहन में कोई कठिनाई न हो।

(11) जिला निर्वाचन पदाधिकारी जिले में प्रतिनियुक्त प्रेक्षकों को एक-एक फोल्डर उपलब्ध करायेंगे जिसमें जिले का मानचित्र, निर्वाचन कार्यक्रम, मतदाता सूची, प्रखण्ड में स्थापित मतदान केन्द्रों की सूची, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची (आवंटित प्रतीक चिह्न सहित), जिले के वरीय/महत्वपूर्ण असैनिक एवं आरक्षी पदाधिकारियों की दूरभाष संख्या, निर्वाचन संचालन हेतु की गई व्यवस्था तथा मतगणना कार्यक्रम के अनुसार तैयारी आदि से संबंधित संक्षिप्त विवरण रहेगा।

3. प्रेक्षको के दायित्वों एवं कृत्यों से संबंधित आयोग द्वारा तैयार की गयी मार्गदर्शिका की प्रति भी आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है। अनुरोध है कि प्रेक्षकों को अपने कर्तव्य निर्वहन में हर संभव सहयोग प्रदान करने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

सचिव।

ज्ञापांक -पं0नि0 30-92/2021 - 3536 पटना, दिनांक - 6.9.21

प्रतिलिपि, आई.टी.मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

ह०/-

सचिव।

ज्ञापांक -पं0नि0 30-92/2021 - 3536 पटना, दिनांक - 6.9.21

प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना / सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सचिव।